

श्रीमद् रामचरणाय नमः

## विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

“संगम” सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26, एनआरआई सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर

### अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय  
(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619664 ईमेल:rpvijay0515@gmail.com

### मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता  
(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

### संरक्षक

नन्दकिशोर विजय  
(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

### महासचिव

शिवकुमार विजयवर्गीय  
(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

### “संगम” विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन के उपयोग की दरें (अक्टूबर, 2019 तक)

क्र० सं०	मद	दरें
1	पूरे भवन-हॉल-तीन कमरे-रसोई(दो स्टोर के साथ)-लॉन सहित की दर	51000 रूपये प्रतिदिन
2	हॉल-तीन कमरे-रसोई (दो स्टोर के साथ)	41000 रूपये प्रतिदिन
3	लॉन-पीछे के दो कमरे-रसोई (दो स्टोर के साथ)	31000 रूपये प्रतिदिन
4	केवल हॉल	21000 रूपये प्रतिदिन
5	4 घण्टे के अवधि हेतु हॉल लेने पर- जिसकी 10 दिन पूर्व ही बुकिंग होगी	11000 रूपये प्रतिदिन
6	बिन्दु संख्या 1 से 5 अंकित प्रयोजन के अन्तर्गत आगामी दिवस उपयोग हेतु निर्धारित दर में छूट	25 प्रतिशत प्रतिदिन
7	सामान्य बन्धुओं द्वारा बुकिंग हेतु सिफारिश (गारन्टर)	उसकी आईडी के साथ दो समाज बन्धु की सिफारिश
	नोट:-उक्त दरें सामान्य बन्धुओं के लिये निर्धारित की गई है समाज बन्धुओं के लिये उक्त दरें पूर्व में निर्धारित छूट (70, 50 व 40प्रतिशत) के अनुसार देय होगी	
6	बिजली का खर्चा प्रति यूनिट (सभी प्रयोजन हेतु) छूट का प्रावधान नहीं	15 रूपये प्रति यूनिट
7	सफाई का खर्चा (सभी प्रयोजन हेतु) छूट का प्रावधान नहीं	2500 रूपये प्रतिदिन
8	समाज बन्धु द्वारा समारोह आदि की बुकिंग की अग्रिम राशि का जमा कराने का प्रावधान (पूर्व में निर्धारित छूट प्रावधानों के अन्तर्गत)	बुकिंग के समय 50 प्रतिशत राशि एवं पूर्ण राशि (अमानत राशि सहित) समारोह से 7 दिन पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक होगा
9	सभी के लिये (समाज बन्धुओं सहित) अमानत राशि का निर्धारण	1-केवल हॉल के लिये 10000रूपये (लौटाने योग्य) 2-अन्य प्रयोजन हेतु 20000 रूपये (लौटाने योग्य) उक्त राशि में से बिजली उपयोग,सफाई खर्चा एव क्षतिपूर्ति राशि का समायोजन होगा
10	अन्य बन्धुओं के लिये बुकिंग राशि मय अमानत राशि के जमा कराने का प्रावधान	बुकिंग के समय ही पूरी राशि
11	समाज बन्धु के शोक सभा हेतु (लॉन अथवा मुख्य हॉल) उपयोग करने पर	पूर्णतः निशुल्क (बिजली व सफाई सहित)
12	अन्य बन्धुओं द्वारा शोक सभा हेतु लॉन के उपयोग की राशि	2100 (बिजली व सफाई सहित)
13	अन्य बन्धुओं द्वारा शोक सभा हेतु भवन के हॉल उपयोग की राशि	3100 (बिजली व सफाई सहित)
14	उपयोग में लेने वाले (सभी के लिये) द्वारा भवन की सामग्री की क्षति करने पर क्षतिपूर्ति राशि	निर्माण समिति द्वारा तय किया जायेगा
15	समाज बन्धु द्वारा भवन उपयोग हेतु प्राथमिकता की अवधि	चार माह, उसके पश्चात सामान्य महानुभाव की बुकिंग की जावेगी ।
17	सामाजिक समारोह आदि हेतु भवन उपयोग की दर	पूर्णतः निशुल्क (बिजली व सफाई चार्ज के अतिरिक्त) 10000 रूपये अमानत राशि (बिजली व सफाई चार्ज के समायोजन के साथ लौटाने योग्य)
18	समाज बन्धु के समारोह आदि केन्सिल होने की दशा में अग्रिम राशि लौटाने का प्रावधान	50 प्रतिशत राशि काट कर लौटाना यदि उसी दिन की बुकिंग आ जाती है तो पूर्ण राशि बिना कटौती के लौटाना
19	समाज बन्धु के परिवार में शोक होने की स्थिति में समारोह आदि केन्सिल होने की दशा में अग्रिम राशि लौटाने का प्रावधान	पूर्ण राशि लौटाना
20	अन्य बन्धुओं के समारोह आदि केन्सिल होने की दशा में अग्रिम राशि लौटाने का प्रावधान	केवल बुकिंग की 50 प्रतिशत राशि काटकर लौटाना (अमानत राशि में कोई कटौती नहीं)
21	राशि का लेन देन	सभी प्रकरणों में चैक के माध्यम से
22	अन्य प्रावधान	समस्त राशि पर जीएसटी पृथक से देय होगा । साथ ही उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना होगी ।

श्रीमद् रामचरणाय नमः

## विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

“संगम” सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26, एनआरआई सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर

### अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय  
(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619664 ईमेल:rpvijay0515@gmail.com

### मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता  
(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

### संरक्षक

नन्दकिशोर विजय  
(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

### महासचिव

शिवकुमार विजयवर्गीय  
(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद द्वारा संचालित  
“संगम” विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन बुकिंग हेतु आवेदन पत्र  
(विजयवर्गीय समाज बन्धु उपयोग हेतु)

1-	उपयोगकर्ता का नाम (आईडी की फोटो प्रति संलग्न करें) 1- आधार कार्ड अथवा 2-पैन कार्ड अथवा 3-अन्य	
2-	पूर्ण पता	
3-	दूरभाष नं.	
4-	उपयोग का प्रयोजन /कार्यक्रम	
5-	<b>निम्न में से जिस स्थान का उपयोग किया जाना है, कृपया उसके आगे के कोष्ठक को टिक करें</b>	
	1-पूरा भवन (हॉल, तीन कमरे, रसोई-मय स्टोर एवं लॉन)	<input type="checkbox"/>
	2-हॉल, तीन कमरे व रसोई मय स्टोर	<input type="checkbox"/>
	3-लॉन, पीछे के दो कमरे एवं रसाई मय स्टोर	<input type="checkbox"/>
	4-केवल हॉल	<input type="checkbox"/>
	5-4 घण्टे की अवधि हेतु केवल हॉल	<input type="checkbox"/>
5-	दिनांक जिसके लिये बुकिंग चाही गई है	
6-	दिनों की संख्या	
7-	<b>सामान्य दरों में छूट प्रावधान अन्तर्गत विशेष विवरण निम्न के अनुसार अंकित करें</b>	
	1- यदि आप राजसेवक परिषद सदस्य के रूप में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी अथवा तृतीय श्रेणी के अनुदानदाता की श्रेणी में आते हैं, तो संबंधित श्रेणी टिक करें	प्रथम श्रेणी <input type="checkbox"/> द्वितीय श्रेणी <input type="checkbox"/> तृतीय श्रेणी <input type="checkbox"/>
	2- यदि आप विजयवर्गीय समाज की अति-विशिष्ट अथवा विशिष्ट श्रेणी में आते हैं तो संबंधित श्रेणी टिक करें	अति-विशिष्ट श्रेणी (रु. 5 लाख या अधिक अनुदान) <input type="checkbox"/> विशिष्ट श्रेणी (रु. 1लाख से ज्यादा किन्तु 5 लाख से कम अनुदान) <input type="checkbox"/>

श्रीमद् रामचरणाय नमः

**विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर**

“संगम” सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26, एनआरआई सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर

**अध्यक्ष**राजेन्द्र प्रसाद विजय  
(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619664 ईमेल:rpvijay0515@gmail.com

**मुख्य संरक्षक**लल्लू लाल गुप्ता  
(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

**संरक्षक**नन्दकिशोर विजय  
(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

**महासचिव**शिवकुमार विजयवर्गीय  
(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

8-	<b>सामान्य विजयवर्गीय समाज बन्धु के उपयोग हेतु (सामान्य दरों में छूट प्रावधानान्तर्गत) सिफारिश करने की स्थिति में सिफारिशकर्ता का विवरण</b>		
1-	यदि आप राजसेवक परिषद सदस्य के रूप में प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के अनुदानदाता की श्रेणी में आते हैं तो संबंधित श्रेणी टिक करें	प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	क-नाम (सिफारिशकर्ता का)		
	ख-पता		
	ग-दूरभाष नं०		
	घ-हस्ताक्षर		
2-	यदि आप विजयवर्गीय समाज की अति-विशिष्ट श्रेणी (5 लाख या उससे अधिक अनुदान) की श्रेणी में आते हैं तो टिक करें		<input type="checkbox"/>
	क-नाम (अति-विशिष्ट श्रेणी अनुदानदाता)		
	ख-पता		
	ग-दूरभाष नं०		
	घ- हस्ताक्षर		

नोट:- कालम 7 अथवा 8 में से कोई एक कालम भरना है

मैं/हम, भवन उपयोगकर्ता घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण बिल्कुल सही है, तथा भवन का प्रयोग उक्त प्रयोजन/कार्यक्रम के अलावा नहीं किया जायेगा। हमने आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी नियम व शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं। इनका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं।

अतः “संगम” विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन के उपयोग हेतु लागू वर्तमान दरों, जिसका अवलोकन कर लिया गया है, के अन्तर्गत राशि जमा कर उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

ह.  
उपयोगकर्ता

दिनांक.....

**कार्यालय उपयोग हेतु**

उपयोगकर्ता श्री-----द्वारा-----प्रयोजनार्थ दिनांक-----से  
दिनांक-----तक कुल दिवस-----हेतु राशि रूपये-----चैक संख्या-----बैंक का  
नाम-----दिनांक-----संस्था की रसीद संख्या-----दिनांक-----  
से जमा करते हुये उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर  
कार्यालय मंत्री संचालन समिति

श्रीमद् रामचरणाय नमः

**विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर**

“संगम” सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26, एनआरआई सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर

**अध्यक्ष**राजेन्द्र प्रसाद विजय  
(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619664 ईमेल:rpvijay0515@gmail.com

**मुख्य संरक्षक**लल्लू लाल गुप्ता  
(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

**संरक्षक**नन्दकिशोर विजय  
(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

**महासचिव**शिवकुमार विजयवर्गीय  
(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद द्वारा संचालित  
“संगम” विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन बुकिंग हेतु आवेदन पत्र  
(विजयवर्गीय समाज के सामाजिक समारोह उपयोग हेतु)

1-	उपयोगकर्ता (संस्था) का नाम (आईडी की फोटो प्रति संलग्न करें) 1- आधार कार्ड अथवा 2-पैन कार्ड अथवा 3-अन्य	
2-	पूर्ण पता	
3-	दूरभाष नं.	
4-	उपयोग का प्रयोजन/कार्यक्रम	
5-	क्या संस्था रजिस्टर्ड है, यदि हां तो प्रमाण पत्र संलग्न करें	
5-	<b>निम्न स्थान में से जिसका उपयोग किया जाना है, कृपया उसके आगे के कोष्ठक को टिक करें</b>	
	1-पूरा भवन (हॉल, तीन कमरे, रसोई-मय स्टोर एवं लॉन)	<input type="checkbox"/>
	2-हॉल, तीन कमरे व रसोई मय स्टोर	<input type="checkbox"/>
	3-लॉन, पीछे के दो कमरे एवं रसाई मय स्टोर	<input type="checkbox"/>
	4-केवल हॉल	<input type="checkbox"/>
	5-4 घण्टे की अवधि हेतु केवल हॉल	<input type="checkbox"/>
5-	दिनांक जिसके लिये बुकिंग चाही गई है	
6-	दिनों की संख्या	

हम, भवन उपयोगकर्ता घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण बिल्कुल सही है, तथा भवन का प्रयोग उक्त प्रयोजन/कार्यक्रम के अलावा नहीं किया जायेगा। हमने आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी नियम व शर्तें पढ़ एवं समझ ली है, इनका पालन करने के लिए हम बाध्य है।

अतः “संगम” विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन के उपयोग हेतु लागू वर्तमान दरों के प्रावधानों, जिसका अवलोकन कर लिया गया है, के अन्तर्गत राशि जमा कर उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

ह.  
उपयोगकर्ता

दिनांक.....

**कार्यालय उपयोग हेतु**

उपयोगकर्ता \_\_\_\_\_ द्वारा \_\_\_\_\_ प्रयोजनार्थ  
दिनांक \_\_\_\_\_ से दिनांक \_\_\_\_\_ तक कुल दिवस \_\_\_\_\_ हेतु राशि रुपये \_\_\_\_\_ बैंक संख्या \_\_\_\_\_ बैंक  
का नाम \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ संस्था की रसीद संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_  
से जमा करते हुये उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर  
कार्यालय मंत्री संचालन समिति

श्रीमद् रामचरणाय नमः

**विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर**

“संगम” सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26, एनआरआई सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर

**अध्यक्ष**राजेन्द्र प्रसाद विजय  
(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619664 ईमेल:rpvijay0515@gmail.com

**मुख्य संरक्षक**लल्लू लाल गुप्ता  
(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

**संरक्षक**नन्दकिशोर विजय  
(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

**महासचिव**शिवकुमार विजयवर्गीय  
(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद द्वारा संचालित  
“संगम” विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन बुकिंग हेतु आवेदन-पत्र  
(सामान्य जन हेतु)

1-	उपयोगकर्ता का नाम (आईडी की फोटो प्रति संलग्न करें) 1- आधार कार्ड अथवा 2-पैन कार्ड अथवा 3-अन्य	
2-	पूर्ण पता	
3-	दूरभाष नं.	
4-	उपयोग का प्रयोजन / कार्यक्रम	
5-	<b>निम्न स्थान में से जिसका उपयोग किया जाना है, कृपया उसके आगे के कोष्ठक को टिक करें</b>	
	1-पूरा भवन (हॉल, तीन कमरे, रसोई-मय स्टोर एवं लॉन)	<input type="checkbox"/>
	2-हॉल, तीन कमरे व रसोई मय स्टोर	<input type="checkbox"/>
	3-लॉन, पीछे के दो कमरे एवं रसोई मय स्टोर	<input type="checkbox"/>
	4-केवल हॉल	<input type="checkbox"/>
	5-4 घण्टे की अवधि हेतु केवल हॉल	<input type="checkbox"/>
5-	दिनांक जिसके लिये बुकिंग चाही गई है	
6-	दिनों की संख्या	

मैं/हम, भवन उपयोगकर्ता घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण बिल्कुल सही है, तथा भवन का प्रयोग उक्त प्रयोजन/कार्यक्रम के अलावा नहीं किया जायेगा। हमने आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी नियम व शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं। इनका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं।

अतः “संगम” विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन के उपयोग हेतु लागू वर्तमान दरों, जिसका अवलोकन कर लिया गया है, के अन्तर्गत राशि जमा कर उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान करावें।

ह.  
उपयोगकर्ता

दिनांक.....

**कार्यालय उपयोग हेतु**

उपयोगकर्ता श्री-----द्वारा-----प्रयोजनार्थ दिनांक-----से  
दिनांक-----तक कुल दिवस-----हेतु राशि रुपये-----चैक संख्या-----बैंक का नाम  
-----दिनांक-----संस्था की रसीद संख्या-----दिनांक-----से  
जमा करते हुये उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर  
कार्यालय मंत्री संचालन समिति

श्रीमद् रामचरणाय नमः

## विजयवर्गीय (वैश्य) राज सेवक परिषद, जयपुर

“संगम” सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26, एनआरआई सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर

### अध्यक्ष

राजेन्द्र प्रसाद विजय  
(नारायणपुर निवासी)

मोबा. 9829619664 ईमेल:rpvijay0515@gmail.com

### मुख्य संरक्षक

लल्लू लाल गुप्ता  
(से.नि.बैंक अधिकारी)

मोबा. 9610780551

### संरक्षक

नन्दकिशोर विजय  
(बसवा निवासी)

मोबा. 9414049196

### महासचिव

शिवकुमार विजयवर्गीय  
(बुटेरी निवासी)

मोबा. 9829472662

### आबंटन की नियम व शर्तें

1. “संगम” विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन के उपयोग की दरें (संलग्न)
2. उपयोगकर्ता/सिफारिशकर्ता की आईडी आवश्यक होगी।
3. “संगम” भवन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर 120 दिन पूर्व राजसेवक/समाज बन्धुओं के लिये आरक्षित किया जावेगा। इसके पश्चात् खाली होने पर अन्य समाज बन्धुओं को दिया जावेगा।
4. भवन जिस तिथि के लिए आरक्षित किया गया है उसका समय प्रातः 8.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 8.00 बजे तक होगा अर्थात् दूसरे दिन प्रातः 8 बजे तक भवन खाली करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अगले दिन का चार्ज लिया जायेगा। (अन्य बुकिंग नहीं होने पर)
5. भवन बुकिंग के समय समिति द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण राशिमय अमानत राशि के अग्रिम जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लेने पर ही आरक्षण कन्फर्म माना जायेगा। आरक्षण होने के बाद निरस्त नहीं हो सकेगी व जमा धनराशि वापस नहीं होगी।
6. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त सफाई के रु. 2500/- प्रतिदिन तथा मीटर रिडिंग के अनुसार विद्युत खर्च जो कि वर्तमान में रु. 15/- प्रतियुनिट है पृथक से देय होगा, जो कि बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित किया जा सकता है।
7. पानी व बिजली की व्यवस्था उपलब्धता के अनुसार ही है। अतिरिक्त मांग हेतु जेनरेटर व पानी की व्यवस्था उपभोगकर्ता द्वारा स्वयं को करनी होगी।
8. विद्युत डैकोरेशन के लिए जेनरेटर काम लेना होगा। सामान्य विद्युत उपभोग भवन के मीटर से किया जा सकता है।
9. उपभोगकर्ता को अपने माल-सामान व वाहनों की सुरक्षा/देखभाल स्वयं को ही करनी होगी। किसी भी प्रकार के नुकसान, चोरी के लिए संस्था उत्तरदायी नहीं होगी। इस हेतु उपभोगकर्ता को चौकीदार की व्यवस्था स्वयं को करना अनिवार्य होगा।
10. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उपभोगकर्ता स्वयं के व अपने महमानों के वाहनों की पार्किंग रहवासियों के मकान के गेट के सामने नहीं होने देंगे।
11. भवन में मद्यपान, व अन्य किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी कार्य पूर्णतया निषेध है।
12. ध्वनि प्रसारण यन्त्रों/डीजे. आदि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान दण्डों के अनुसार ही किया जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत पर कानूनी/पुलिस कार्यवाही होने पर उपभोगकर्ता स्वयं ही जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में संस्था को भवन तत्काल खाली कराने का अधिकार होगा और अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. भवन की सुरक्षा एवं संरक्षा, पाइपलाइन, बिजली के उपकरण व सभी प्रकार की फिटिंग, लॉन, शीशे, खिड़की, दरवाजे, बाथरूम फिटिंग्स आदि सभी की सुरक्षा व रख रखाव की जिम्मेदारी उपभोगकर्ता की होगी। इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान व टूट-फूट की भरपाई उपभोगकर्ता को करनी होगी।
14. टैन्ट, व हलवाई व्यवस्था समिति के सुझावों के अनुसार करनी होगी। लॉन में भट्टी, चुल्हा अथवा गैस का प्रयोग निषेध है।
15. भवन में एक कमरा समिति कार्यालय व चौकीदार हेतु आरक्षित रहेगा जहां समिति के कर्मचारी/पदाधिकारी किसी भी समय आ-जा सकेंगे।
16. नियम व शर्तों के उल्लंघन पाये जानें पर तथा अपने खर्च एवं नुकसान की भरपाई के लिए संस्था को भवन खाली कराने एवं कोई भी सामान रोकने का पूर्ण अधिकार होगा, चाहे वह उपभोगकर्ता किराये पर लाया हो।
17. भवन का आरक्षण/बुकिंग संचालन समिति के विवेकाधीन है।
18. कचरा अथवा गंदगी भवन में निर्धारित स्थान पर ही इकट्ठा करना है। भवन के बाहर अथवा नाले में कचरा इत्यादि डालने पर कैरिज शुल्क भवन उपभोगकर्ता को पृथक से देना होगा।
19. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर है।

जयपुर  
दिनांक:.....

ह.  
उपभोगकर्ता

पूर्ण पता-----

-----

-----

दूरभाष नं०-----